आवंटन
लेखाशीर्षक–251500789030027

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, खीरी, पीलीभीत तथा महराजगंज।

**संख्याः–1/शा0/154/2011–1/27/2011, लखनऊ दिनॉक 19 दिसम्बर, 2011**

**विषयः–केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान–83 के अन्तर्गत इन्डो नेपाल बार्डर से लगे 06 जनपदों हेतु विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–872/26–ब0प्र0–2011–100(23)/2011, दिनॉक 15 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0– 4337.04 लाख में से इन्डो नेपाल बार्डर से लगे प्रदेश के 06 जनपदों हेतु रू0–56,81,500/– ( रूपया छप्पन लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) संलग्न सूची में उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायत राज अधिकारियों के निस्तारण पर शासनादेश संख्या–872/26–ब0प्र0–2011–100(23)/2011, दिनॉक 15 दिसम्बर, 2011 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–901/दस–2011–231/11, दिनॉक 21–03–2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परिक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का शतप्रतिशत व्यय केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए ही किया जायेगा। सामान्य व अन्य वर्ग के बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लिए नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2011–12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2012 तक व्यय हो सके तथा केन्द्रांश प्राप्त होने की दशा में ही किया जायेगा।

8– **जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।**

**कृ0पृ0उ0**

83 Allot. TSC PLAN 19-04-2010 Sp In

9– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयो का निर्माण –27– सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

10– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त वित्त संशाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

11– किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, वाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूप पत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

13– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायगा।

14– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्यवन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 31–01–2012 तक

3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 28–02–2012 तक

4– वर्ष 2011–12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 01–3–2012 तक

14– प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–5 पर अंकित है।

**संलग्न–उक्तवत्।**

**भवदीय,**

**( डी0एस0 श्रीवास्तव )**
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

**संख्याः–1/शा0/ 154 /2011, तददिनॉक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– महालेखाकार, लेखा आडिट (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय ( लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001

3– प्रमुख सचिव पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।

6– सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

7– उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पचायती राज, निदेशालय उ0प्र0।

8– विशेष सचिव वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0शासन।

9– विशेष सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

10– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

**( रमेश चन्द्र राय )**
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

पत्र संख्या–1/शा0/ 154 /2011–1/27/2011 दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

**वित्तीय वर्ष 2011–12**

इन्डो नेपाल बार्डर से गले 07 जनपदों में डा0 अम्बेडकर ग्रामों की भाँति स्वच्छ शौचालयों निर्माण हेतु विशेष प्रोत्साहन मद का आंवटित धनराशि का विवरणः–

**अनुदान संख्या–83** **(धनराशि लाख रूपये में)**

| क0सं0 | जनपद का नाम | लक्ष्य बी0पी0एल0 | वित्तीय आवश्यकता बी0पी0एल0 परिवारों हेतु रू0–2340/– प्रति शौचालय की दर से | योग | कोषागार का प्रगामी योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बहराइच | 147 | 3.440 | 3.440 | 42.320 |
| 2 | बलरामपुर | 38 | 0.889 | 0.889 | 10.439 |
| 3 | सिद्धार्थनगर | 20 | 0.468 | 0.468 | 23.188 |
| 4 | खीरी | 1365 | 31.941 | 31.941 | 238.081 |
| 5 | पीलीभीत | 581 | 13.595 | 13.595 | 44.165 |
| 6 | महाराजगंज | 277 | 6.482 | 6.482 | 21.722 |
| | **योग** | **2428** | **56.815** | **56.815** | |

( रूपया छप्पन लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र )

**(रमेश चन्द्र राय)**
**मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,**
**पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।**